Divided into
GS 1 to 4
12 Sections

BESTSELLER

151 निबंध

for UPSC & State PSC Civil Services & other Competitive Exams

SAMPLE

2nd Edition

महत्त्वपूर्ण विषयों पर निबंधों का संकलन

GS 1
- सामाजिक विकास
- सामाजिक चुनौतियाँ
- शिक्षा
- समाज एवं संस्कृति

GS 2
- राजव्यवस्था एवं शासन
- विश्व राजनीति
- सामाजिक न्याय

GS 3
- अर्थव्यवस्था
- पर्यावरण
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

GS 4
- नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा
- जीवन एवं दर्शन

DISHA™
Publication Inc

DISHA Publication Inc.

A-23 FIEE Complex, Okhla Phase II

New Delhi-110020

Tel: 49842349/ 49842350

© Copyright DISHA Publication Inc.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission of the publisher. The author and the publisher do not take any legal responsibility for any errors or misrepresentations that might have crept in.

We have tried and made our best efforts to provide accurate up-to-date information in this book.

Typeset By

DISHA DTP Team

Buying Books from Disha is always Rewarding

This time we are appreciating your writing Creativity.

Write a review of the product you purchased on Amazon/Flipkart

Take a screen shot / Photo of that review

Scan this QR Code ➔

Fill Details and submit | That's it ... Hold tight n wait.

At the end of the month, you will get a surprise gift from Disha Publication

Scan this QR code

Write To Us At

feedback_disha@aiets.co.in

www.dishapublication.com

DISHA™ Publication Inc

Free Sample Contents

G.S. Mains Paper-1

भाग-A: सामाजिक विकास

1. वैश्वीकरण भारतीय समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है? 1–2

G.S. Mains Paper-2

भाग-E: राजनीति एवं शासन

33. असहमति या मतभेद: लोकतंत्र की नींव 69–70

G.S. Mains Paper-3

भाग-H: अर्थव्यवस्था

59. क्या अनुबंध कृषि भारतीय कृषि को पुनर्जीवित कर सकता है? 126–127

G.S. Mains Paper-4

भाग-K: नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा

102. पक्षपाती मीडिया लोकतंत्र के 219–221

This sample book is prepared from the book **"151 Nibandh for UPSC & State PSC Civil Services & other Competitive Exams 2nd Hindi Edition | Philosophical/ General Studies/ Current Topics".**

ISBN - 9789355646804

MRP- 450/-

In case you like this content, you can buy the **Physical Book** or **E-book** using the ISBN provided above.

The book & e-book are available on all leading online stores.

विषय वस्तु

G.S. Mains Paper-1

भाग-A: सामाजिक विकास

1. वैश्वीकरण भारतीय समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है? 1–2
2. महिला सशक्तिकरण सतत विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कारक है 3–4
3. बीमारियों के विरुद्ध भारत का संघर्ष 5–7
4. समाज पर विज्ञापन का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव 8–9
5. भारत में वृद्ध जनसंख्या: अकेलापन एवं गरीबी से संघर्ष 10–11
6. आतंकवाद के विरुद्ध कूटनीति 12–13
7. सामाजिक-आर्थिक विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका 14–15
8. अगर आप अच्छी माँ, बहन और पत्नी चाहते हैं तो लड़कियों को शिक्षित करना शुरू कर दें 16–17
9. घर और नौकरी: क्या भारतीय कामकाजी महिलायों के साथ उचित है? 18–19
10. सोशल मीडिया की शक्ति 20–21
11. क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है? 22–23
12. किसानों में आत्महत्या: ऋणग्रस्तता से परे सोच 24–25
13. आरक्षण एवं भारत में मानव विकास 26–28
14. उभरता मध्यम वर्ग 29–30
15. विश्वास, पारदर्शिता एवं शांति: मानव संसाधन प्रबंधन की मूल पात्रता 31–32
16. प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी): आज की प्रासंगिकता 33–34

भाग-B: सामाजिक चुनौतियाँ

17. आतंकवाद का विश्व पर प्रभाव 35–36
18. मानव तस्करी: मानव गरिमा और संवेदना का अपमान 37–39
19. भारत में बाल श्रम : कारण एवं सरकार के प्रयास 40–42
20. ऑनर किलिंग: एक बड़ी समस्या 43–44
21. महिलाओं के विरुद्ध अपराध: क्या भारत महिलाओं के लिए सर्वाधिक खतरनाक देश है? 45–46
22. भारत में सांप्रदायिकता: कारण एवं निवारण 47–48
23. बढ़ती घृणा एवं असहिष्णुता: विकास के लिए हानिकारक 49–50

भाग-C: संस्कृति एवं समाज

24. इंटरनेट द्वारा प्रभावित सूचनात्मक समाज समृद्ध भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है 51–52
25. केवल युवा ही 21वीं सदी को 'शांति की सदी' बना सकते हैं 53–54
26. विवाह: एक महान प्रासंगिकता वाली संस्था 55–56
27. बेटी एक सम्पत्ति है, बोझ नहीं 57–58

भाग-D: शिक्षा

28. मूल्य शिक्षा का महत्त्व 59–60
29. शिक्षा आर्थिक सफलता और सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख चालक है 61–62
30. शिक्षा एक हथियार है जो दुनिया को बदल सकती है 63–64
31. शिक्षा का अधिकार: चुनौतियाँ और संभावनाएँ 65–66
32. स्वतंत्रता के बाद से भारत में उच्च शिक्षा: यूजीसी और इसका दृष्टिकोण 67–68

G.S. Mains Paper-2

भाग-E: राजनीति एवं शासन

33. असहमति या मतभेद: लोकतंत्र की नींव 69–70
34. निजता का अधिकार और भारत के निगरानी कानून 71–72
35. राजनीति का अपराधीकरण: भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा 73–74
36. सूचना का अधिकार: प्रगति, चुनौतियाँ और संभावनाएँ 75–76
37. 'न्यू इंडिया' की संकल्पना: चुनौतियाँ और संभावनाएँ 77–78
38. धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल पश्चिमी मॉडल से कैसे भिन्न है? 79–80
39. भारत का पूर्वोत्तर भारत के साथ संपर्क 81–82
40. भारत में पंचायती राज: चुनौतियाँ एवं समाधान 83–84
41. भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता 85–86
42. लोकतंत्र में वोट का महत्त्व एवं भारत में चुनावी कदाचार एवं सुधार 87–88
43. निजता का अधिकार : एक मौलिक अधिकार 89–90
44. शहरी रूपांतरण के लिए स्मार्ट सिटीज 91–93

भाग-F: अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

45. रूस-यूक्रेन संघर्ष 94–95
46. भारत की विदेश नीति के सामने वर्तमान चुनौतियाँ 96–97
47. भूमण्डलीकरण के दौर में भाषाओं पर बढ़ता खतरा 98–99
48. भारत में डिजिटल मुद्रा 100–102
49. समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका 103–105
50. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के प्रयास 106–107

भाग-G: सामाजिक न्याय

51. भारत में समान नागरिक संहिता क्यों होना चाहिए? 108–109
52. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: क्या इससे लोगों की मानसिकता में बदलाव आया? 110–112
53. जातिगत आरक्षण भारतीय समाज के विकास के लिए वरदान है या अभिशाप? 113–115
54. भारत में लैंगिक समानता 116–117
55. महिला को सशक्त करना, अगली पीढ़ी को सशक्त करना है 118–119
56. क्या सर्वसाधारण शिक्षण के द्वारा समतावादी समाज सम्भव है? 120–121
57. नस्लीय भेदभाव और समानता का संघर्ष 122–123
58. अमीर और गरीब के बीच अंतर:गहरी विषमता 124–125

G.S. Mains Paper-3

भाग-H: अर्थव्यवस्था

59. क्या अनुबंध कृषि भारतीय कृषि को पुनर्जीवित कर सकता है? 126–127
60. कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय नीति 128–129
61. भारत में खाद्य सुरक्षा: दशा, दिशा और भावी परिदृश्य 130–131
62. मेक इन इंडिया: उपलब्धि एवं चुनौतियाँ 132–133
63. सतत विकास का लक्ष्य और भारत 134–135
64. उत्तर-पूर्व में सामाजिक-आर्थिक विकास 136–137
65. कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता 138–139
66. भारत चीन व्यापार असंतुलन 140–141
67. भारत में दिवालियापन कानून और उसके प्रभाव 142–143

68. एनपीए क्या है और भारत में इसके बढ़ने के क्या कारण हैं? 144–145
69. कृषि सुधार : सरकार का अभूतपूर्व एजेंडा 146–147
70. जीएसटी : उपलब्धि, कार्यान्वयन और चुनौतियां 148–149
71. भारत में बैंकिंग संकट 150–151
72. मोदी सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियाँ 152–153
73. व्यापार में सुगमता और भारत 154–155
74. भारत में आर्थिक विकास और कृषि 156–157
75. भारत में बेरोजगारी की समस्या और समाधान 158–159

भाग-I: पर्यावरण

76. पर्यावरण बनाम विकास 160–161
77. भारत में जल संकट 162–163
78. भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा : विकास और चुनौतियाँ 164–165
79. पर्यावरण जागरूकता: एक शुभ संकेत 166–167
80. ओजोन परत का क्षरण एवं समाधान 168–169
81. यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो हमारे पास समाज नहीं होगा 170–171
82. एक बेहतर आपदा प्रणाली देश की आवश्यकता 172–173
83. वर्षा जल प्रबंधन 174–175
84. भारत में अपशिष्ट प्रबंधन 176–177
85. भारत में शहरी प्रदूषण: एक राष्ट्रीय संकट 178–179
86. ई-अपशिष्ट : तकनीकी क्रांति का नकारात्मक पक्ष 180–181
87. पर्यावरण : वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या 182–183
88. हिमनद का पिघलना : ग्लोबल वार्मिंग की ओर संकेत 184–185
89. पर्यावरण संरक्षण एवं भारतीय संविधान 186–187
90. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन : आज की आवश्यकता और कार्ययोजना 188–189
91. पर्यावरण एवं प्रकृति का संरक्षण : आज की आवश्यकता 190–191
92. ग्लोबल वॉर्मिंग की गिरफ्त में समुद्र 192–193
93. शहरीकरण और इसके खतरे 194–196
94. भारत में कृषि में भूजल उपयोग के परिणाम, संरक्षण और प्रबंधन 197–198

भाग-J: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

95. आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें: एक वरदान या अभिशाप? 199–201
96. भारत की आधुनिक विदेश नीति 202–204
97. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी चुनौतियाँ 205–207
98. क्लाउड कम्प्यूटिंग : चुनौतियां एवं समाधान 208–210
99. भारतीय रक्षा में डीआरडीओ का योगदान 211–213
100. विज्ञान और प्रौद्योगिकी : एक राष्ट्र की वृद्धि और सुरक्षा के लिए रामबाण है 214–216
101. साइबरनेशन: रोजगार के लिए खतरा या अवसर 217–218

G.S. Mains Paper-4

भाग-K: नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा

102. पक्षपाती मीडिया लोकतंत्र के लिए हानिकारक है 219–221
103. क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता साथ-साथ रह सकते हैं? 222–223
104. सोशल मीडिया में भावना एवं सूचना का प्रसारण 224–226
105. आधुनिकता एवं हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य 227–229
106. क्या सांप्रदायिकता शांति के लिए खतरा है या धर्म का प्रचार? 230–232
107. अपनी आस्तीन पर पहनी हुई देशभक्ति 233–234
108. धर्म पहले से बड़ा व्यापार बन सकता है 235–237
109. भारतीयों में आध्यात्मिक स्वतंत्रता है पर सामाजिक स्वतंत्रता नहीं 238–240

110. सद्भाव, सहिष्णुता एवं भाईचारा: बहुलवादी समाज के तीन स्तम्भ 241-242
111. आधुनिक समय में महात्मा गाँधी का महत्त्व 243-245
112. साइबर बुलिंग: आमने-सामने के उपहास से ज्यादा चरम रूप 246-247

भाग-L: जीवन एवं दर्शन

113. पुस्तक के बिना घर वैसा ही होता है जैसे बिना पक्षी के पेड़ 248-249
114. मकान हाथों से बनता है लेकिन घर दिल से 250-251
115. जो इतिहास से सबक नहीं लेते, वे इतिहास को दुहराने के लिए अभिशप्त हैं 252-254
116. राजनीतिशास्त्र के अभाव में इतिहास फलहीन होता है और इतिहास के अभाव में राजनीति शास्त्र आधारहीन होता है 255-257
117. जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे 258-259
118. खुद में वह बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं 260-261
119. सफलता के लिए तैयारी न करना असफलता के लिए तैयारी करने के समान है 262-264
120. धर्म के बगैर विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बगैर धर्म अंधा है 265-266
121. शांति सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अच्छे जीवन की उपस्थिति है 267-268
122. सहकारी उद्यमिता का ध्येय लाभ कमाने के साथ समतामूलक समाज की स्थापना रहा है 269-270
123. क्या आप एक नैतिक व्यक्ति बने बिना खुश रह सकते हैं? 271-272
124. अस्तित्व का अर्थ है प्रतीति का विषय होना 273-275
125. मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ 276-277
126. यदि अन्य ग्रहों पर मानव बस्तियाँ बस जाएँ, तो क्या "पृथ्वी की नैतिकता और आचार संहिता" में परिवर्तन करना आवश्यक होगा? 278-279
127. मृत्यु को मानव जीवन का अंतिम पड़ाव माना जाना जाए या किसी नई मंजिल के लिए शुरुआत? 280-282
128. शोध से पता चलता है कि लोगों में जन्मजात क्षमताएं होती हैं, जो काफी हद तक शैक्षिक उपलब्धि को निर्धारित करती हैं। 283-285
129. हम मूल ज्ञान कैसे प्राप्त करें: अनुभव द्वारा या सूचना के निरंतर प्रक्रम द्वारा? 286-287
130. अपने आप में प्रकाश बनो (आत्म दीपो भव) 288-290
131. आज हम जितनी सारी जानकारी को संसाधित कर रहे हैं, उसके साथ कोई व्यक्ति निष्पक्ष कैसे बना रह सकता है? 291-293
132. जीवित रहने वाली प्रजाति सबसे मजबूत नहीं होती, न ही सबसे बुद्धिमान, बल्कि वह होती है जो परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है 294-297
133. खुशी कोई पहले से तैयार की गई चीज़ नहीं है। यह आपके अपने कार्यों से आती है। 298-301
134. किसी सभ्यता की असली परीक्षा यह है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करती है 302-305
135. एक व्यक्ति जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की 306-308
136. महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं, उससे प्यार करें 309-311
137. हम वही हैं जो हम बार-बार करते हैं। उत्कृष्टता तो एक कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। 312-314
138. सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है: आगे बढ़ते रहने का साहस ही मायने रखता है 315-317

139. वहाँ मत जाओ जहाँ रास्ता ले जाए, बल्कि वहाँ जाओ जहाँ कोई रास्ता न हो और एक नया रास्ता बनाओ 318-320

140. सच्चा ज्ञान केवल यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते 321-323

141. इस जीवन को सार्थक रूप से जीने का एकमात्र तरीका है अपने जुनून को खोजना 324-326

142. जिसके पास जीने का एक कारण है, वह लगभग किसी भी तरह से जीवन जी सकता है 327-329

143. अगर आप तेजी से जाना चाहते हैं, तो अकेले चलें। अगर आप दूर जाना चाहते हैं, तो साथ चलें। 330-332

144. जो लोग अतीत को याद नहीं रख पाते, उन्हें इसे दोहराने की सजा मिलती है 333-335

145. प्यार उन मुखौटों को उतार देता है जिनके बिना हम नहीं रह सकते और जिनके भीतर हम नहीं रह सकते 336-338

146. रचनात्मकता की प्रेरणा सांसारिकता में जादुईता तलाशने के प्रयास से आती है 339-341

147. राष्ट्र आक्रमण से नहीं मरते। वे आंतरिक सड़ांध से मरते हैं। 342-344

148. अधिकार वह नहीं है जो कोई आपको देता है; यह वह है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता 345-347

149. संदेह एक असहज स्थिति है, लेकिन निश्चितता हास्यास्पद है 348-350

150. समय दुख देता है, लेकिन यह ठीक भी करता है। यह सजा देता है, लेकिन यह पुरस्कार भी देता है- यह मनुष्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा शिक्षक है। 351-353

151. भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे बनाना 354-356

वैश्वीकरण भारतीय समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है?

वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं।

वैश्वीकरण का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। इससे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। वैश्वीकरण एक आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और वैश्विक व्यवस्था है जिसमें बाजारी ताकतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर देखा जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उपभोग और उपभोक्तावाद, राष्ट्र एवं राज्य की संप्रभुता का ह्रास, अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना एवं सूचनाओं का बिना समय बर्बाद किये प्राप्त करना शामिल है। वैश्वीकरण उदारीकरण की चरम अवस्था है।

आज भूमंडलीकरण के प्रभाव से कोई अछूता नहीं है। इसका प्रभाव सभी देशों पर किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई पड़ता है। भारतीय लोगों के जीवन, संस्कृति, रूचि, फैशन, प्राथमिकता इत्यादि पर भी भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा है। एक तरफ इनसे आर्थिक विकास को गति और प्रौद्योगिकी का विस्तार कर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद किया है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति और परंपरा में सेंध लगाकर हम पर विदेशी संस्कृतियों को थोपने का भी प्रयास किया है।

वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर सामाजिक-सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव

वर्तमान में भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का समग्र प्रभाव देखा जा सकता है। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि भारत में विद्यमान आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की स्थिति ने लोगों में संकुचित भावना और पहचान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है। स्थानीय संस्कृतियों और समुदायों में निवास करने वाले लोगों के मध्य आत्मकेन्द्रित भावना का विकास वैश्वीकरण के प्रभाव को इंगित करता है। भारत के समाजों और विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से विद्यमान सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को दर्शाने वाले दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के संपर्क राष्ट्रीय पहचान को चुनौती देने के स्थान पर प्रभावी हुए हैं। भारत के वेशभूषा सृजनात्मक क्रियाकलाप, भाषागत प्राथमिकता, संगीत, स्त्री-पुरूष संबंध, बच्चों के गोद लेने की प्रवृत्ति, अत्याधुनिक क्रियाकलापों को वरीयता, सिनेमा के प्रति रूचि, सामाजिक रीति-रिवाजों के प्रति विश्वास और नृत्य रूपों पर वैश्वीकरण के प्रभाव को देखा जा सकता है।

भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में अधिक हावी है। भूमंडलीकरण पारिवारिक संरचना को भी बदला है। संयुक्त परिवार का स्थान एकाकी परिवार ने ले लिया है। हमारी खान-पान की आदते त्यौहार, समारोह पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है।

भूमंडलीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे पहनावे में भी देखा जा सकता है। समुदाओं के अपने संस्कार, परंपराएं और मूल्य भी परिवर्तित हो रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति और परंपरा भारतीय संस्कृति में पैर पसार रही है।

वैश्वीकरण ने लोगों में ब्रांड को लेकर दौड़ और अनुपयोगी वस्तुओं के संग्रहण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। लोग महंगे ब्रांड का सामान खरीदने को अपना सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखने लगे हैं। उदाहरण स्वरूप कम दाम की घड़ी भी

वही समय बताती जो महंगी घड़ी बताती है। लेकिन आज भारतीय बाजार में महंगी घड़ियों का पूर्ण बाजार विकसित हो गया है। अत: इससे स्पष्ट है कि वैश्वीकरण के कारण लोग अपने गुणों के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा में अर्जन के बजाए भौतिक वस्तुओं के एकत्रीकरण पर जोर देने लगे हैं साथ ही बाजार से ऐसी अनेक वस्तुएं खरीदी जाने लगी हैं, जिसके नहीं होने पर भी हमारे जीवन के गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

भारत एक वैविध्यपूर्ण समाज है, जहां धर्म जाति क्षेत्र आयु आदि के आधार पर असंख्य परंपरायें प्रचलन रीति-रिवाज, खान-पान रहन-सहन आदि विद्यमान है। सूचना क्रांति के कारण क्षेत्रीय विविधताओं पर हावी होने लगी है, जिसके कारण क्षेत्रीय अस्मिता संकट में पड़ गयी। भाषाई एवं सामुदायिक प्रतीक नष्ट होने लगे हैं तथा उनके स्थान पर एक समरूप भाषा, रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा विकसित होती जा रही है। इससे भारत का वैविध्यपूर्ण चरित्र बदल रहा है, क्षेत्रीय परंपराएं नष्ट हो रही हैं और उनका स्थान वैश्विक संस्कृति ले रही है।

भूमंडलीकरण भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर एक वैश्विक संस्कृति को थोप रही है जो पश्चिमीकरण से प्रभावित है। संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार के रूप में और फिर सूक्ष्म परिवार (माइक्रोफैमिली) में बदलते जा रहे हैं। पति-पत्नी के बीच तनाव के कारण तलाक जैसे कदम उठाये जाने लगे हैं।

चूँकि वैश्वीकरण शुद्ध अर्थवाद पर आधारित एक आर्थिक अवधारणा है, जिसमें तार्किकता, बौद्धिकता, धर्म निरपेक्षता आदि को बढ़ावा मिलता है। इसने भारतीय युवाओं की विशेषत: सोच तथा प्राथमिकता बदली है तथा नई पीढ़ी, धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग जैसे संकीर्ण विषयों पर ऊपर उठकर आर्थिक विकास प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। जाति प्रथा एवं जन्म के आधार पर भेदभाव समाप्त हो रहे हैं। अंतर्जातीय विवाह को स्वीकृति प्राप्त हो रही है। वैश्वीकरण के कारण भौगोलिक दूरी का महत्व घट रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय की कम खपत के कारण लोगों का सामाजिक जुड़ाव बढ़ रहा है। लोग एक-दूसरे के संस्कृति एवं रीति-रिवाजों से परिचित हो रहे हैं।

वैश्वीकरण के परिणाम

रोजगार के बेहतर अवसर: वैश्वीकरण से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। नई-नई कम्पनियों के आने से रोजगार के नये नये अवसर उत्पन्न हुए हैं। इसके कारण कई नये आर्थिक केंद्रों का विकास हुआ है, जैसे; गुड़गाँव, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद, आदि।

जीवनशैली में बदलाव: वैश्वीकरण का प्रभाव लोगों की जीवनशैली पर भी पड़ा है। 1990 के पहले तक लोग दो जोड़ी पैंट शर्ट में गुजारा कर लेते थे। अब तो लोगों के पास हर मौके के लिये अलग अलग ड्रेस होते हैं। पहले जींस की पैंट बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। अब अधिकांश लोग जींस की पैंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। लोगों का खान-पान भी बदल गया है। अब मैगी के नूडल्स, इस तरह से खरीदे जाते हैं जैसे महीने का राशन खरीदा जाता हो।

विकास के असमान लाभ: वैश्वीकरण से आर्थिक असमानता भी तेजी से बढ़ी है। किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी में ऊँचे पद पर काम करने वाला व्यक्ति लाखों रुपये का वेतन लेता है। वहीं दूसरी ओर दिहाड़ी मजदूर को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। आज भी हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है।

विकसित देशों द्वारा गलत तरीकों का इस्तेमाल: विकसित देश आज भी ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने किसानों को भारी अनुदान देते हैं। विकासशील देशों को इसके बदले कुछ भी नहीं हासिल होता है।

वैश्वीकरण आधुनिक युग की ऐसी वास्तविकता है, जिससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। वैश्वीकरण से यदि फायदे हुए हैं तो नुकसान भी हुए हैं। लेकिन नुकसान की तुलना में फायदे अधिक हुए हैं। अब जरूरत है ऐसी नीतियों की, जिनसे वैश्वीकरण का लाभ जनमानस तक पहुँचे। जब हर तबके का आदमी एक निश्चित स्तर की जीवनशैली जीने लगेगा तभी वैश्वीकरण को सफल माना जायेगा।

DISHA™ Publication Inc

असहमति या मतभेद: लोकतंत्र की नींव

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मानवीय अधिकार है और वह आधार है, जिस पर लोकतंत्र का निर्माण होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई भी प्रतिबंध लोकतंत्र पर प्रतिबंध है। लोकतंत्र दुनिया भर में सरकार का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत रूप है और इसका कारण इस तथ्य में निहित है कि यह नागरिकों को सरकार की कार्रवाई और निर्णयों पर सवाल उठाने और नीतियों और परिवर्तनों के खिलाफ विरोध करने की अनुमति देता है।

मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, हमारे देश में एक खतरनाक स्थिति में भी है, जब मीडिया सरकार और नीति निर्माताओं की उनके वर्तमान और भविष्य के फैसलों के बारे में जांच और पूछताछ करने लगता है और समीक्षा करता है तो दर्शकों को अच्छी तरह से अवगत कराया जा सकता है। जब भी कुछ पत्रकार या रिपोर्टर सरकार की कठपुतली बनने से असहमत होते हैं और जनता को दिखाते हैं जो वास्तव में देश के परिदृश्य को निष्पक्ष तरीके से समझने में उन्हें लाभान्वित करता है, तो उसे धमकी दी जाती है।

अगर भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की स्थितियां बनी रहती हैं, तो उस दिन जब हर नागरिक सरकार के इस रूप से नफरत करना शुरू कर देगा, वह बहुत दूर नहीं होगा। लोकतंत्र किसी भी तरीके से 'तानाशाही' न बने, इसके लिए असहमति या असंतोष बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे नेताओं को यह महसूस करना चाहिए कि यह असहमति किसी भी तरह से उनके खिलाफ नहीं है।

DISHA™ Publication Inc

कुछ मुद्दों पर असहमति या बहस से केवल बेहतर नीतियां और निर्णय तैयार होते हैं, जो पूरे देश को लाभान्वित करते हैं, यही वास्तव में या सरकार में सत्ता में रहने वालों का उद्देश्य होना चाहिए।

जब हम असहमत होने के अधिकार को नकार देते हैं तो बदलाव की संभावना को भी खत्म कर देते हैं। इसी से तो समाज बर्बर होता जाता है। यदि हम बड़ी संख्या में असहमति जताने के अपने अधिकार की रक्षा करें तो बदलाव सुनिश्चित होगा।

हमारे लोकतंत्र में हम जिन स्वतंत्रताओं का लुत्फ उठाते हैं, उसमें नाराज होने या गहरी असहमति जताने का अधिकार भी शामिल है। बिना किसी रुकावट या भय के सोच-विचार करने और उसे बिना लाग-लपेट लिखने, बोलने और कहने की आजादी की यही तो नींव है। हमारे जैसे सुंदर विविधताओं वाले देश में कभी छीना न जा सकने वाला असहमति का अधिकार ही हमें एक राष्ट्र के रूप में वह बनाता है, जो हम हैं।

नि:संदेह इसमें अधिकार के साथ कई जोखिम जुड़े हैं, जिसमें निशाना बनाए जाने का जोखिम भी शामिल है। लेकिन जब तक यह अधिकार सुपरिभाषित, तार्किक सीमा के भीतर रहे, तो ज्यादातर लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी।

लेकिन जब भीड़ आपको काट डालने के लिए आए, आपके घर में तोडफोड़ की जाए, किताबें जला दी जाएं, आपको फिल्म प्रदर्शित न करने दी जाए या आजकल जो ज्यादातर हो रहा है कि आपको मारने की सुपारी किसी को दे दी जाए तो

यह बात खतरनाक हो जाती है। लेखक, पत्रकार, चित्रकार और अब तो सामाजिक कार्यकर्ता तथा तार्किक सोच को बढ़ाने वालों पर भी खुलेआम हमले हो रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है।

यह तय करना रस्सी पर चलने जैसी चुनौती है कि लिखते, चित्रकारी करते या बोलते समय लक्ष्मण रेखा ठीक-ठीक कहां खींची जाए। मजे की बात यह है कि सत्य की कोई सीमा नहीं होती। जब आप किसी ऐसे विषय पर बोलना चाहते हैं जिसमें आपका बहुत भरोसा हो तो ऐसी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती कि जहां आप रुक जाएं। सत्य तो हमेशा संपूर्ण होता है। जब आप अपने विवेक पर भरोसा रखकर कोई रेखा खींचते हैं तो आप अर्धसत्य को, दूसरे को मूर्ख बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। सबसे बढ़कर तो आप अपनी अंतरात्मा को धोखा देते हैं।

कुछ मामलों में तो ऐसी कोई रेखा खींचना संभव भी नहीं होता। जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाला बीच में रूक नहीं सकता, फिर चाहे उसे साफ नजर आ रहा हो कि इससे आगे बढने पर खतरा है, बहुत गंभीर खतरा। फिर भी भारत एक ऐसा बहादुर देश है जहां कई आम लोग, साधारण नागरिक ऐसे हैं, जिनके पास बचाव के साधन नहीं हैं, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है और फिर भी वे आगे जाकर सच कहने से नहीं डरते। यही लोग हैं जो हमारे लोकतंत्र की चमक बरकरार रखते हैं।

पुलिस की जांच शुरू होने के पहले ही मामले का राजनीतिकरण हो जाता है। धर्म, जाति, समुदाय और राजनीतिक रिश्तों के मुद्दे घसीटकर मामले को जटिल बना (यहां पढ़ें उलझा) दिया जाता है। आपको इसका पता चले इसके पहले ही यह खबर मर जाती है, क्योंकि कहीं और इससे भी भयानक अपराध हो जाता है, जो सुर्खियां खींच लेता है और आपका ध्यान वहां चला जाता है। ऐसा होने से अपराधी निकल भागता है। हम आज ऐसे राष्ट्र हैं जो मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हर कहीं इतना कुछ हो रहा है और सब कुछ बहुत घिनौना कि किसी के लिए भी सारी बातों पर ध्यान केंद्रित करना असंभव ही है।

मकबूल फिदा हुसैन मौजूदा दौर के हमारे सबसे महान चित्रकार थे। उन्हें अस्सी साल से ज्यादा की उम्र में देश छोड़कर खाड़ी के देश में रहना पड़ा, क्योंकि हुड़दंगी उन्हें शांति से रहने और काम करने नहीं दे रहे थे। उन्होंने उनके चित्रों को नष्ट किया, उनके प्रदर्शनों में बाधा डाली, तोड़-फोड़ की। इसके बावजूद हुसैन उतने उत्साही हिंदू थे, जितना कोई अन्य हो सकता है।

सनकियों के एक दूसरे गिरोह ने सलमान रुश्दी के लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करना नामुमकिन बना दिया। अब तो हालात यह हैं कि स्थानीय कार्टूनिस्ट भी व्यंग्यचित्रों के माध्यम से असहमति जताने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से घबराते हैं।

जब हम किसी चीज से असहमत होने का अधिकार नकार देते हैं तो हम बदलाव की संभावना को भी खत्म कर देते हैं। इसी तरह तो समाज बर्बर, निर्जीव और चिढ़ पैदा करने की हद तक उबाऊ होता जाता है। आप देश के स्वतंत्र नागरिक बने रहना चाहते हैं तो आक्रामक असहमति जताने के अपने अधिकार की रक्षा कीजिए। यदि बड़ी संख्या में लोग ऐसा करें तो बदलाव को टाला नहीं जा सकेगा, बल्कि यह सुनिश्चित होगा। बदलाव ही तो किसी जीवित संस्कृति की पहचान है।

DISHA™ Publication Inc

क्या अनुबंध कृषि भारतीय कृषि को पुनर्जीवित कर सकता है?

किसानों की आय बढ़ाने और उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिये केंद्र सरकार ने कांट्रैक्ट फार्मिंग पर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम, 2018 को स्वीकृति दे दी है और इसका मसौदा जारी कर दिया है। इसमें केवल खेती ही नहीं बल्कि डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन को भी शामिल किया गया है। इसके तहत् किसान अपनी फसलों को बेचने के लिये निजी कंपनियों से अनुबंध कर सकेंगे। विवाद निपटारे के लिये व्यवस्था होगी और खेती का बीमा भी होगा। इस मसौदे में जहाँ किसानों के हितों की रक्षा पर बल दिया गया है, वहीं कंपनियों के लिये भी नियम उदार बनाने पर जोर दिया गया है। राज्यों को अपनी सुविधानुसार प्रावधानों में संशोधन करने की छूट दी गई है, लेकिन कानून में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खरीदार और किसानों के मध्य हुआ एक ऐसा समझौता है, जिसमें इसके तहत् किये जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है। इसमें कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिये कुछ मानक स्थापित किये जाते हैं। इसके तहत् किसान किसी विशेष कृषि उत्पाद की उपयुक्त मात्रा खरीदारों को देने के लिये सहमति व्यक्त करते हैं और खरीदार उस उत्पाद को खरीदने के लिये अपनी स्वीकृति देता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, खरीदार (जैसे–खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और निर्यातक) और उत्पादक (किसान या किसान संगठन) के बीच हुए फसल-पूर्व समझौते के आधार पर कृषि उत्पादन (पशुधन और मुर्गीपालन सहित) किया जाता है।

प्राय: देखने में आता है कि पर्याप्त खरीदार न मिलने पर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण होता है- किसान और बाज़ार के बीच तालमेल की कमी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत इसीलिये महसूस की गई, ताकि किसानों को भी उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। फसल उत्पाद के लिये तयशुदा बाजार तैयार करना कॉन्ट्रैक्ट खेती का प्रमुख उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। इससे कृषि उत्पाद के कारोबार में लगी कई कॉर्पोरेट कंपनियों को कृषि प्रणाली को सुविधाजनक बनाने में आसानी रहती है और उन्हें अपनी पसंद का कच्चा माल, तय समय और कम कीमत पर मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह सुलभ कराई जा सकती है, ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें इसमें कोई भी बिचौलिया शामिल नहीं होगा और किसानों को कंपनियों की ओर से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिलेंगे। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिये बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है और इसी तरह कंपनियों के लिये कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक रूप से काम करता है। यद्यपि यह उपज की स्वीकार्य गुणवत्ता के लिए आश्वस्त बाजार लेनदेन प्रदान करके किसानों को लाभान्वित करता है, लेकिन लिखित अनुबंध की कमी उन किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जो अपने कब्जे में पूंजी के साथ शोषण के प्रति संवेदनशील हैं।

लंबे समय से, अनुबंध कृषि में समझौतों के कार्यों और धाराओं को विनियमित करने के लिए कोई व्यापक नीति नहीं थी। सार्वजनिक भलाई की आवश्यकता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और ठेकेदारों और किसानों दोनों के लिए बाजार से संबंधित

DISHA Publication Inc

प्रोत्साहन बनाने के कदमों का विकास किया जाए। उचित समय पर उचित जानकारी और जानकारी प्राप्त करने के लिए किसानों को बाजार (मंडियों) से अधिक जुड़ा होना चाहिए। ई-एनएएम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) अब तक देश में सिर्फ 585 मंडियों को ही नामांकित कर सका है, जो उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, ई-नीलामी अभी भी कमीशन एजेंटों द्वारा संचालित की जाती है। ई-एनएएम में भाग लेने के लिए अधिक राज्यों के लिए, सरकार को किसानों को अपनी उपज की नीलामी करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

कृषि-फर्म संबंधों में पारस्परिक विश्वास और विश्वास अनुबंध कृषि व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण शर्तें हैं। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल एक्ट, 2018, का उद्देश्य अनुबंधों को लागू करने के लिए एक नियामक निकाय बनाना है। अनुभव बताता है कि न तो पार्टियां हस्तक्षेप के लिए कानून लागू करना चाहती हैं, सीमांत किसानों को सबसे अधिक प्रभावित किया जा रहा है। ग्राम स्तर की अदालतें, रियायती कानूनी सहायता और न्यूनतम कीमतें एक उचित निपटान सुनिश्चित करेंगी।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक रूप से काम करता है। यद्यपि यह उपज की स्वीकार्य गुणवत्ता के लिए आश्वस्त बाजार लेनदेन प्रदान करके किसानों को लाभान्वित करता है, लेकिन लिखित अनुबंध की कमी उन किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जो अपने कब्जे में पूंजी के साथ शोषण के प्रति संवेदनशील हैं।

वर्तमान प्रणाली के तहत, किसान को फसल काटा जाने और बेचने के बाद ही भुगतान किया जाता है, जिससे उसे कंपनी के विवेक पर दया आती है। इसके बजाय, किसानों को उन कंपनियों की जानकारी और पृष्ठभूमि के लिए आसानी से उपलब्ध कंपनियों का एक डेटाबेस होना चाहिए, जिनके साथ वे संलग्न हैं। बाजार की शक्ति में असंतुलन, अवसरवादी व्यवहार और अन्य अनुचित प्रथाओं ने सभी को ठेके पर खेती के रूप में काम किया है। बेहतर समन्वय को सक्षम करने के लिए जोखिम-साझाकरण खंड और पारदर्शी अनुबंध शर्तें लागू की जानी चाहिए।

कई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल के परिणाम बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसानों के लिए शुद्ध मुनाफा गैर-कॉन्ट्रैक्ट किसानों के लिए दोगुने से अधिक था। कुल लागत के लिए विपणन और लेनदेन लागत का हिस्सा अनुबंध किसानों के लिए बहुत कम था।

अनुबंध खेती में कृषि को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, अगर इसे ठीक से लागू किया जाए। हालांकि मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम, 2018 का मसौदा इन मुद्दों में से कई को संबोधित करता है, लेकिन राज्यों के लिए इसे अपनाना अनिवार्य नहीं है क्योंकि कृषि समवर्ती सूची में है। किसान संकट को दूर करने के लिए कुछ संवैधानिक संशोधन जमीन पर सक्षम परिवर्तन को लागू करने के लिए वांछनीय होंगे।

DISHA™ Publication Inc

पक्षपाती मीडिया लोकतंत्र के लिए हानिकारक है

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। इसी से मीडिया के महत्त्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। समाज में मीडिया की भूमिका संवाद वहन की होती है। वह समाज के विभिन्न वर्गों, सत्ता केन्द्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करता है। लोकतंत्र में जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं मीडिया की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व मीडिया पर भी है।

सरल शब्दों में लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है, जिसमें जनता अपनी सरकार का चुनाव करती है और इसे विधायिकाओं के माध्यम से जवाबदेह ठहराती है। दूसरे शब्दों में, लोग अपने भाग्य के स्वामी हैं। चुनाव लोकतंत्र का आधार होते हैं। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र केवल नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। चुनाव नागरिकता की पावन अभिव्यक्ति है। मतदान राष्ट्रीय कर्तव्य का आह्वान है। अधिक मतदान के माध्यम से सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक शासन की नींव सुदृढ़ होती है। हमारे देश में दशकों से बरकरार लोकतंत्र ने गुमनाम लोगों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान कर सामाजिक बदलावों की शुरुआत की है।

चुनावों में पेड न्यूज और झूठी खबरें, उम्मीदवारों के लिए सामान अवसर प्रदान करने संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र की मुख्य कमियां हैं और हमारे चुनावों को ज्यादा विश्वसनीय और समावेशी बनाने के लिए इन कमियों को शीघ्र दूर किए जाने की आवश्यकता है।

DISHA™ Publication Inc

स्वतंत्र मीडिया: लोकतंत्र की आधारशिला

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत में मीडिया की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए वास्तव में एक बल गुणक हो सकता है।

मीडिया को सही मायनों में लोकतंत्र का 'चौथा स्तंभ' कहा जाता है क्योंकि यह लोगों और अन्य तीन स्तंभों यथा विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच के सेतु का कार्य करता है।

दुनिया भर में लोकतांत्रिक चुनावों के मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य मतदाताओं को अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने और अपनी पसंद के राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मत देने का अवसर प्रदान करना है।

इस विकल्प के सार्थक उपयोग हेतु अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षित है:

1. एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया जो निष्पक्ष तरीके से वर्तमान राजनीति के संबंध में समाचार दे।
2. विभिन्न दलों और उनके उम्मीदवारों के राजनीतिक एजेंडा और मंचों का परीक्षण–उनके इरादों, नीतियों, विजन, भ्रष्टाचार घोटालों, देश और नागरिकों पर उनकी नीतियों के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करना।
3. ऑनलाइन न्यूज, समाचार पत्रों और टेलीविजन जैसे विभिन्न मीडिया प्रारूपों के माध्यम से इन विचारों को प्रकाशित करने की क्षमता।

4. एक जागरूक नागरिक जो तथ्यों का सम्मान करता है और विचार, तर्क, देश के प्रति प्रेम और अपने लोकाचार का सम्मान करता है।

चुनावों के समय में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और लगभग 1.35 बिलियन नागरिकों को चुनावी-प्रक्रिया से जोड़ने की आवश्यकता है।

चुनावों के दौरान मीडिया की भूमिका

मीडिया की भूमिका विशेष रूप से चुनावों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होती है, लोगों द्वारा 'झूठी खबरों' का प्रचार किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। यह मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे संवेदनशील समय में मिथक दूर करने वाले की तरह काम करे और सम्पूर्ण, विशुद्ध सत्य की जानकारी प्रदान करे।

मीडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता के पास वे सभी सूचनाएं सुलभ हों, जिनकी उन्हें एक शिक्षित और सुविचारित निर्णय लेने के लिए आवश्यकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भारत में चुनाव संचालन संबंधी मूलभूत नियमों का निर्धारण किया गया है। चुनाव रिपोर्टिंग करने वाले प्रत्येक मीडिया पेशेवर को इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए। मीडिया देश में चुनाव के शीघ्र और प्रभावी संचालन में अत्यधिक योगदान कर सकता है।

मीडिया की पक्षपाती भूमिका

गत् कुछ वर्षों में, मीडिया पर इसकी पक्षपाती भूमिका, झूठी खबरों के प्रकाशन, विशेष हितसाधक समूहों जैसे कारपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों, विचारधाराओं और विदेशी कंपनियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के कारण देश में गंभीर आरोप लगाए गए हैं–जिसने मीडिया की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और उसकी प्रहरी भूमिका का मार्गदर्शन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक वह स्वामित्व पैटर्न है, जिसके अंतर्गत मीडिया हाउस आता है।

गत् कुछ दशकों में अन्य व्यावसायिक उद्यमों में विस्तार के साथ-साथ मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला के स्वामित्व वाले बड़े मीडिया समूहों का विस्तार हुआ है। हालांकि मीडिया की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा प्रत्यक्ष राजनीतिक स्वामित्व के अधीन आने वाले मीडिया घरानों से है।

पेड न्यूज (Paid News): पेड न्यूज चिंता का विषय है। रिपोर्टिंग को अब निष्पक्ष नहीं माना जाता है और मीडिया कहीं न कहीं वर्तमान परिदृश्य में अच्छी पत्रकारिता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है। लेकिन कई अच्छे मीडिया हाउस हैं, जो स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समस्याओं के साथ-साथ सकारात्मक विकास को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चुनावी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है। निष्पक्ष मीडिया यह सुनिश्चित करता है कि मतदाताओं को विकल्पों के बारे में अच्छी तरह से बताया जाए। मीडिया द्वारा तथ्यों के साथ टिप्पणी को जोड़ने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है।

मीडिया जगत का सामाजिक और नए मीडिया जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स, ब्लॉग, ईमेल और अन्य नए मीडिया मंचों की अप्रत्याशित वृद्धि के कारण तेजी से विस्तार हो रहा है– जिसने चुनावों में दो-तरफा बातचीत और संवाद के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करते हुए मीडिया की भूमिका को बदल दिया है। लेकिन तेजी से हो रहे इस विस्तार के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां हैं जो मुख्य रूप से इसके दुरुपयोग और अपप्रयोग के रूप में, पैदा हुई हैं।

हालांकि सोशल मीडिया के उद्भव ने सूचना और विचारों के प्रवाह को 'विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक' बनाया है, लेकिन इसके संभावित पतन का लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों के लिए गंभीर निहितार्थ होगा। इसे चुनाव के समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

DISHA Publication Inc

'झूठी खबर' (Fake News): मीडिया फर्जी सोशल मीडिया विवरणों संबंधी अफवाहों और तथ्यों की जांच कर सकता है, क्योंकि इनके अनियंत्रित होने से सामाजिक वैमनस्य और अशांति पैदा हो सकती है। हालांकि, सोशल मीडिया के सामने एक चुनौती यह है कि चुनाव नजदीकी आने के साथ घृणापूर्ण भाषा का तेजी से प्रसार होता है। मीडिया को अपने नागरिकों को सही और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करने में जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

'झूठी खबर' एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि पूरी दुनिया की मीडिया इसके खिलाफ लड़ रही है। इस प्रवृत्ति में संवेदनशील चुनाव का माहौल गरम हो जाता है जब राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। जबकि गूगल समाचार पहल, व्हाट्सएप और फेसबुक ने इस खतरे को रोकने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कदम उठाए हैं, पारंपरिक मीडिया द्वारा भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने होंगे कि लोगों को सिर्फ विश्वसनीय जानकारी प्रदान की जाए।

मीडिया की पक्षपाती भूमिका को रोकने के लिए किये गए उपाय

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है, 'मीडिया संविधान का प्रहरी है'। सूचना प्रसारक के रूप में अपनी स्पष्ट भूमिका के अतिरिक्त मीडिया की प्रहरी के रूप में भूमिका शायद सबसे निर्णायक विशेषता है।

चुनाव आयोग द्वारा 'पेड न्यूज' की बुराई का समाधान किया गया है। मीडिया को इस प्रवृत्ति से दूर रहना होगा अन्यथा 'धनबल' का इस्तेमाल 'पेड न्यूज' के द्वारा बनाए गए विचारों तथा राय के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा।

मीडिया को निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। इसे एजेंडा निर्धारण और पक्ष लेने के बजाय मतदाताओं के सामने मुद्दों और चुनौतियों को रेखांकित करते हुए उन पर प्रकाश डालना चाहिए।

DISHA™
Publication Inc